

1.	विभाग—	जिला नगरीय विकास अभियान (डूडा), मेरठ।
2.	योजना का नाम –	दीनदयाल अन्त्योदय-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०य०एल०एम०)– 1-स्वतंरोजगार कार्यक्रम (एस०ई०पी०)
3.	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी—	इस योजना में नगर निगम क्षेत्र/नगर पालिका परिषद का कोई भी शहरी गरीब लाभार्थी जो स्व-रोजगार हेतु एक सूक्ष्म उद्यम की स्थापना करना चाहता है, उन्हें व्यक्तिगत अधिकतम 2.00 लाख का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर बैंक द्वारा दिया जाता है।
4.	पात्रता की अर्हता—	आवेदक नगरीय क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। आवेदक की आय रु0 1,00,000.00 से कम होना चाहिए।
5.	आवेदन की प्रक्रिया—	इस योजना के अन्तर्गत आवेदक डूडा कार्यालय में आवेदन कर सकता है।
6.	लिंक वेबसाइट	http://sudaup.org/ , https://upavp.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के परियोजना अधिकारी डूडा अथवा नगर आयुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।